जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

34/16

मुन्तकिली प्रकरण सं0 34/2016 अनवानी 1–हुसनलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति खत्री निवासी नवाशंहर तह. व जिला नवाशहर पंजाब 2–श्रीमति पुष्पा 3–राजेशकुमार आदि बनाम 1–स्टेट जरिए तहसीलदार सूरतगढ 2–अधिशाषी अधिकारी नागरपालिका सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ के अभिभाषक श्री जगरूपसिंह बराड़ उपस्थित है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का प्रतिवेदन सं0 1578 दिनांक 29.04.2016 शामिल किया गया। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित दावा संख्या 208/2011 अनवानी पुष्पादेवी आदि बनाम राज0 सरकार धारा 88–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित दावा संख्या 208/2011 अनवानी पुष्पादेवी आदि बनाम राज0 सरकार धारा 88–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

933/18-5-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर